संख्या-86/2023/1705/सैंतीस-2-2023/003-1(21)/12

प्रेषक,

शिव सहाय अवस्थी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-03 अगस्त, 2023

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-128/सा.-1/एक्स-120(187)/जि.यो./2023-24, दिनांक-24.07.2023 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-67/2023/1237/सैंतीस-2-2023/002-1(21)/12, दिनांक-14.06.2023 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत 192 पदों के सापेक्ष पशु चिकित्सा अधिकारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित मानक मदों में रू0-1318.785 लाख (रूपये तेरह करोड़ अठ्ठारह लाख अठहत्तर हजार पाँच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
01-वेतन	882.153
03-मंहगाई भत्ता	409.903
55-मकान किराया भत्ता	26.729
योग-	**1318.785**

(रूपये तेरह करोड़ अठ्ठारह लाख अठहत्तर हजार पाँच सौ मात्र)

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु जिला योजनाओं के जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
4. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
5. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।
7. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
8. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2403001010600 (पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403001010600 पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)	01 वेतन	8,82,15,300 (रुपये आठ करोड़ बयासी लाख पंद्रह हजार तीन सौ मात्र)
2	015	2403001010600 पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)	03 मंहगाई भत्ता	4,09,90,300 (रुपये चार करोड़ नौ लाख नव्वे हजार तीन सौ मात्र)
3	015	2403001010600 पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)	55 मकान किराया भत्ता	26,72,900 (रुपये छब्बीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ मात्र)
	कुल			**13,18,78,500** **(रुपये तेरह करोड़ अठारह लाख अठहत्तर हजार पांच सौ मात्र)**

महायोग	13,18,78,500 (रुपये तेरह करोड़ अठारह लाख अठहत्तर हजार पांच सौ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(शिव सहाय अवस्थी)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-86/2023/1705(1)/सैंतीस-2-2023/003-1(21)/12, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-86/2023/1705/सैंतीस-2-2023/003-1(21)/12, दिनांक-03 अगस्त, 2023 का संलग्नक:-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) (वर्ष 2023-24) (धनराशि लाख में)

क्र0	जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	55-मकान किराया भत्ता	योग
1	2	3	4	5	6
1	बरेली	15.780	7.000	0.500	23.280
2	चन्दौली	8.600	4.000	0.100	12.700
3	फतेहपुर	10.050	4.820	0.330	15.200
4	हमीरपुर	0.631	0.265	0.021	0.917
5	फर्रूखाबाद	43.600	21.700	1.300	66.600
6	गाजीपुर	53.000	25.500	1.600	80.100
7	औरैया	24.000	11.000	0.540	35.540
8	मऊ	7.120	3.350	0.300	10.770
9	अमेठी	5.560	3.800	0.180	9.540
10	प्रयागराज	5.400	2.330	0.160	7.890
11	रायबरेली	24.000	11.000	0.650	35.650
12	चित्रकूट	13.500	6.000	0.380	19.880
13	एटा	173.000	91.000	5.000	269.000
14	हाथरस	24.400	11.000	0.760	36.160
15	बुलन्दशहर	17.000	7.730	0.450	25.180
16	महोबा	21.000	7.450	0.550	29.000
17	मैनपुरी	45.000	20.000	1.500	66.500
18	बलिया	5.690	2.840	0.160	8.690
19	फिरोजाबाद	11.080	5.320	0.000	16.400
20	सोनभद्र	28.930	12.150	1.360	42.440
21	कासगंज	16.000	6.500	2.000	24.500
22	बस्ती	35.000	13.000	0.600	48.600
23	गौतमबुद्ध नगर	7.280	3.490	0.000	10.770
24	गोरखपुर	7.200	3.530	0.110	10.840
25	संत कबीर नगर	7.590	3.370	0.000	10.960
26	सुल्तानपुर	25.850	11.620	0.586	38.056

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27	उन्नाव	30.800	12.300	0.890	43.990
28	अलीगढ़	36.500	17.700	1.550	55.750
29	इटावा	18.250	8.150	0.560	26.960
30	हरदोई	52.090	22.700	1.890	76.680
31	जौनपुर	7.340	3.370	0.150	10.860
32	मथुरा	6.000	2.700	0.160	8.860
33	मेरठ	13.000	6.500	0.900	20.400
34	लखनऊ	11.950	5.000	0.250	17.200
35	बिजनौर	14.140	6.300	0.420	20.860
36	कानपुर देहात	17.340	8.560	0.450	26.350
37	संत रविदास नगर	12.550	5.730	0.000	18.280
38	मिर्जापुर	6.080	2.850	0.000	8.930
39	मुजफ्फरनगर	0.002	0.008	0.002	0.012
40	लखीमपुर खीरी	5.520	1.700	0.170	7.390
41	मुरादाबाद	7.050	3.510	0.000	10.560
42	अमरोहा	7.280	3.060	0.200	10.540
योग-		**882.153**	**409.903**	**26.729**	**1318.785**

(रूपये तेरह करोड़ अठ्ठारह लाख अठहत्तर हजार पाँच सौ मात्र)

——

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।